

छत्तीसगढ़ नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल  
पुराना नर्सेस हास्टल, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा  
रायपुर, छत्तीसगढ़



क्रमांक / रजि० नर्सिंग का०/ २०२० /

रायपुर, दिनांक / / २०२०

प्रति,

समस्त शासकीय / निजी  
जी.एन.एम. नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र (छ.ग.)

विषय:- छत्तीसगढ़ नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल द्वारा आयोजित ३३वीं काउन्सिल परीक्षा, पाठ्यक्रम जी.एन.एम. द्वितीय एवं तृतीय वर्ष, पुनर्मूल्यांकन (Re-Evaluation) की सूचना बाबत्।

—::००::—

छत्तीसगढ़ नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल द्वारा आयोजित (३३वीं काउन्सिल परीक्षा) के पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन आंमत्रित किए जाते हैं। कोरोना संक्रमण महामारी को देखते हुए पुनर्मूल्यांकन (Re-Evaluation) हेतु आवेदन, E-Mail द्वारा ही स्वीकार किया जायेंगा एवं आवेदन फार्म भरने कि अंतिम तिथि १७/०६/२०२० है।

पुनर्मूल्यांकन आवेदन – पत्र संबंधी प्रक्रिया के निर्देश निम्न है :-

- प्रशिक्षण केन्द्र के प्राचार्य/प्राचार्या/परीक्षार्थी, काउन्सिल द्वारा पुनर्मूल्यांकन हेतु निर्धारित नियमों व निर्देशों का समुचित अध्ययन करने के उपरांत नियमों के अधीन पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करे।
- छात्र अपना आवेदन पत्र सोच समझकर सही सही भरे। आवेदन पत्र के किसी भी प्रकार का सुधार करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- पुनर्मूल्यांकन आवेदन पत्र प्रशिक्षण केन्द्र के प्राचार्य द्वारा सत्यापित कर प्रशिक्षण केन्द्र के Official E-Mail के माध्यम से छ.ग. नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल के Official E-Mail snrc.cg@gmail.com में ही स्वीकार किया जायेंगा।
- आवेदक को पुनर्मूल्यांकन या पुणर्गणना में से किसी एक ही आवेदन की पात्रता होगी।
- आवेदक को अधिकतम दो विषयों में ही पुनर्मूल्यांकन ही पात्रता होगी।
- पुनर्मूल्यांकन आवेदन हेतु टी.आर.शीट./ऑनलाईन पेमेंट की प्रतिलिपि लगाना अनिवार्य है।
- पुनर्मूल्यांकन आवेदन पत्र से संबंधित सभी दस्तावेजों को २५० या ३०० डीपीआई (Resolution) पर स्कैन कर PDF FILE बना कर ही E-Mail करें।
- पुनर्मूल्यांकन शुल्क २०० रु. प्रति विषय व फार्म शुल्क ५०/- एवं भुगतान केवल Online Payment Mode द्वारा ही मान्य होगा।
- अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(1)

P.T.O....

Cont....

10. जी.एन.एम. परीक्षाओं के परिणाम पश्चात् नियमित छात्र के रूप में सम्मिलित छात्र निम्नानुसार पुनर्मूल्यांकन करवाने के पात्र होंगे।
- अ. जी.एन.एम. द्वितीय वर्ष के नियमित छात्र जो दो विषय में उत्तीर्ण हो व शेष विषयों के सैद्धांतिक प्राप्तांक में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त किये हो (27 अंक)
- ब. जी.एन.एम. तृतीय वर्ष के नियमित छात्र जो एक विषय में उत्तीर्ण हो व शेष विषयों के सैद्धांतिक प्राप्तांक में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त किये हो (27 अंक)
- उक्त पुनर्मूल्यांकन प्रायोगिक (Practical) व आंतरिक (Internal) प्राप्तांक पर लागू नहीं होगा।
11. पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन पत्र निम्नलिखित नियमों के आधार पर पात्रानुसार स्वीकार्य नहीं किया जावेगा।
- अ. पूरक/ए.टी.के.टी की श्रेणी से सम्मिलित द्वितीय पूरक परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जावेगे।
12. परीक्षार्थियों को पुनर्मूल्यांकन परिणाम की सूचना/जानकारी संबंधित संस्था के माध्यम से **Website – www.cgnrc.org** के माध्यम से प्राप्त होगी।
13. परीक्षार्थियों को पुनर्मूल्यांकन परिणाम घोषित होने के एक माह के अंदर संबंधित परीक्षा (यदि उनके परिणाम घोषित नहीं हुए हो तो) काउन्सिल को अवगत कराना आवश्यक है, ताकि इस संबंध कार्यवाही किया जा सके।
14. पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् यदि छात्र मूल प्राप्तांक से कम या अधिक अंक प्राप्त करता है तो ऐसी स्थिति में कम या अधिक प्राप्त अंकों को बराबर उसके प्राप्तांक माने जायेंगे।
15. पुनर्मूल्यांकन के लिए छात्रों द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र जमा किये गये तो काउन्सिल को पूर्ण अधिकार है कि एक ही आवेदन पर विचार किया जायेगा।

**नोट:-** यदि इस विषय में अन्य जानकारी प्राप्त करने हेतु कार्यालयीन दूरभाष 0771-2227600 में कार्यालयीन समय व दिवस में संपर्क करें।

11

रजिस्ट्रार

छ.ग. नर्सेस रजि. काउन्सिल

रायपुर, छ.ग.

रायपुर, दिनांक 08/06/2020

क्रमांक / रजि० नर्सिंग कां० / 2020 / 843

प्रतिलिपि :-

1. अध्यक्ष, छ.ग. नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल की ओर सादर सूचनार्थ।
2. वेबसाईट प्रति।

*(Signature) 09/06/2020*  
 रजिस्ट्रार  
 छ.ग. नर्सेस रजि. काउन्सिल  
*\*puli* रायपुर, छ.ग.